रजिस्टर्ड नं0 एल0 33/एस0 एम0/13-14/9!

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 18 जनवरी, 2000/28 पौष 1921

हिमाचल प्रदेश सरकार

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 18 जनवरी, 2000

संख्या रैव0-डी0 (जी0) 6-83/96-II.--हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 (1974 का 18) की धारा 13 और हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 (1973 का 19) की धारा 26 के उपबन्धों के अनुसरण में, हिमाचल प्रदेश पट्टा (संशोधन) नियम, 1999 के प्रारूप को इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 9 सितम्बर, 1999 द्वारा, इनसे सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेप व सुझाव आमन्त्रित करने के लिए, राजपत्र (असाधारण) हिमाचल प्रदेश में तारीख 21 सितम्बर, 1999 को प्रकाशित किया गया था;

और उक्त प्रारूप नियमों के सम्बन्ध में, नियत अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 (1974 का 18) की धारा 13 और हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 (1973 का 19) की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या रैव0-डी0 (जी0) 6-33/86-II, तारीख 20 अक्तूबर, 1993 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश तारीख 5 नवम्बर, 1993 में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 1993 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पट्टा (संशोधन) नियम, 1999 है।

2. प्ररूप-इ का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 1993 में संलग्न प्ररूप-इ के पैरा 9 के उप-पैरा (9) के अन्त में शब्द 'Subject' और 'Sublet' को निकाल कर निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि यदि राज्य सरकार, लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो वह अधिसूचना द्वारा पट्टेदार को भूमि में अपने हित को, उसे पट्टे पर दी गई भूमि पर पट्टाधृति अधिकारों सहित तथा तथाकथित भूमि पर उस द्वारा बनाए रखे किसी भवन या मशीनरी/उपकरणों में अपने हित को, हाईडल परियोजनाओं के निष्पादन के लिए पूंजी लेने हेतु पन्द्रह वर्ष की अवधि के लिए या, जब तक ये कार्यान्वयन करार के अनुसार निष्पादन करने वाली कम्पनी के नियन्त्रण में रहते हैं, जो भी पूर्वोत्तर हो, किसी वित्तीय संस्थान के पास बंधक रखने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी।

स्पष्टीकरण.—इस पैरा के प्रयोजन के लिए, पद "वित्तीय संस्थान" से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 (1964 का 18) की धारा 6 अ (ए) में विनिर्दिष्ट कोई वित्तीय संस्थान या कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4अ(ए) के अधीन विनिर्दिष्ट कोई वित्तीय लोक संस्था या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य व्यवसायिक बैंक अभिप्रेत है।"

आदेश द्वारा

एस0 एस0 नेगी,
वित्तायुक्त एवं सचिव।

[*Authoritative English Text of Government Notification No. Rev. D(G)6-83/96-II dated 18th January, 2000 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the 18th January*, 2000

No. Rev. D. (G) 6-83/96-II.—WHEREAS the draft Himachal Pradesh Lease (Amendment) Rules, 1999 were published in the Rajpatra (Extra ordinary), Himachal Pradesh dated 21st September, 1999 *vide* notification of even number dated 9th September, 1999 in pursuance of the provisions of section 13 of the Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilization Act, 1974 (Act 18 of 1974) and section 26 of the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act, 1972 (Act No. 19 of 1973) for inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby;

AND WHEREAS the objections and suggestions received within the stipulated period in respect of the said draft rules have been duly considered by the State Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 13 of the Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilization Act, 1974 (Act No. 18 of 1974) and section 26 of the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act, 1972 (Act No. 19 of 1973), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, further to amend the Himachal Pradesh Lease Rules, 1993 notified *vide* this department notification No. Rev-D(G)6-33/86-II, dated 20th October, 1993 and namely:—

1. *Short title.*—These rules may be called the Himachal Pradesh Lease (Amendment) Rules, 1999.

2. *Amendment of Form-C.*—In Form-C appended to the Himachal Pradesh Lease Rules, 1993, in para 9, in sub-para (9), for the word "Subject", the word "Sublet" shall be substituted and at the end, the following porviso shall be added, namely:—

"Provided that in case the State Government considers it necessary and expedient, in public interest so to do, it may, by notification, permit the Lessee to mortgage his interest in the land including lease hold rights on the land leased to him and his interest in any building or machinery/equipment put up by him on the said land with any financial institution, for raising finances for the execution of Hydel Projects for a period of 15 years, or so long as it remains under the control of executing company as per implementation agreement, whichever is earlier.

Explanation.—For the purpose of this para, the expression "Financial Institution" shall mean any financial institution specified in section 6-A of the Industrial Development Bank of India Act, 1964 (18 of 1964) or any public financial institution specified in section 4-A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or any other Commercial Bank recognised by the Reserve Bank of India".

By order,

S. S. NEGI,
Commissioner-cum-Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।